न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 170 / 2024

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र लिछमण राम जाति गोसांई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र लिछमण राम जाति गोसांई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. सन्तपुरी पुत्र लिछमण राम जाति गोसांई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. राजाराम पुत्र लिछमण राम जाति गोसांई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. चावली पत्नी लिछमण राम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. कमला पुत्री लिछमण राम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. सेनू पुत्री लिछमण राम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. विद्या पुत्री लिछमण राम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. रूकमा पुत्री लिछमण राम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
6. पालाराम
7. ओमप्रकाश
8. गिरदावरी

} पुत्र व पुत्रीयान गुडी पुत्री लिछमणराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 06/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 42 / 4 की कुल 3.4800 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 1 केएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 46 / 47 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के नाम दर्ज है जो कि वादीगण का पिता है लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी का देहान्त हो चुका है तथा लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 है जो लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 जो की वादीगण की माता, बहिने व भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है वादीगण निर्णय से घोषणा करवाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक लिछमणराम व चावली देवी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है तथा वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के नाम दर्ज है जो कि वादीगण का पिता है लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी का देहान्त हो चुका है तथा लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 है जो लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 जो की वादीगण की माता, बहिने व भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में किसी को कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में [illegible] रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी [illegible] के खाता स0 42/4 की कुल 3.4800 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 1 केएम तहसील नोहर [illegible] जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

46/47 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के नाम दर्ज है जो कि वादीगण का पिता है लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी का देहान्त हो चुका है तथा लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 है जो लिछमणपुरी उर्फ लिछमणराम पुत्र गंगापुरी के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 जो की वादीगण की माता, बहिने व भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक लिछमणपुरी के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 42/4 की कुल 3.4800 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 1 केएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 46/47 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में मृतक लिछमणपुरी पुत्र गंगापुरी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 170/2024

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र लिछमण राम जाति गोसांई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र लिछमण राम जाति गोसांई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. सन्तपुरी पुत्र लिछमण राम जाति गोसांई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. राजाराम पुत्र लिछमण राम जाति गोसांई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. चावली पत्नी लिछमण राम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. कमला पुत्री लिछमण राम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. सेनू पुत्री लिछमण राम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. विद्या पुत्री लिछमण राम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. रूकमा पुत्री लिछमण राम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
6. पालाराम
7. ओमप्रकाश
8. गिरदावरी

   } पुत्र व पुत्रीयान गुडी पुत्री लिछमणराम जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी थालड़का तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 170 सन 2024 निर्णय दिनांक – 04/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता स0 42/4 की कुल 3.4800 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 1 केएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 46/47 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में मृतक लिछमणपुरी पुत्र गंगापुरी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर